1. स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) (सीएस) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
405	**I. भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम (लिपि)**					
	1. भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में नवाचार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम का निर्माण करना	1.1 सृजित (भाषा समावेशी नवाचार कार्यक्रम) लिपि केन्द्रों की संख्या	15	1. अंग्रेजी न बोलने वाले नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए प्रवेश बाधा को व्यवस्थित रूप से कम करना	1.1 लिपि नवाचार केंद्रों द्वारा समर्थित स्थानीय नवप्रवर्तकों और निवेशकों की संख्या	30
		1.2 लिपि टास्क फोर्स द्वारा आयोजित ज्ञान साझाकरण सत्रों के लाभार्थियों की संख्या	10			
	II. सीमांत कार्यक्रम					
	1. भारत के सीमांत क्षेत्रों (पहाड़ी और पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र) में नवाचार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम विकसित करने के अनुरूप अन्तःक्षेपों को तैयार करना	1.1 सीमांत क्षेत्रों में स्थापित एटीएल की संख्या	500	1. सीमांत क्षेत्रों में जीवंत नवाचार इकोसिस्टम के विकास को उत्प्रेरित करना	1.1 एटीएल नवाचार परियोजनाओं में लगे छात्रों की संख्या	2,500
					1.2 एटीएल प्रभारी के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	250
		1.2 आरंभ किए गए शोध और परिदृश्य अध्ययनों की संख्या	2		1.3 सीमांत क्षेत्रों के लिए विकसित टिंकरिंग लैब और इनक्यूबेशन केंद्रों के नये टेम्पलेटों की संख्या	2
	III. मानव पूंजी विकास कार्यक्रम (एचसीडी)					
	1. भारत के नवाचार और उद्यमशीलता	1.1 विकसित नवाचार और उद्यमिता पाठ्यक्रमों की संख्या	2	1. नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोफेशनलों के प्रशिक्षण और	1.1 नवाचार और उद्यमिता पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित इन्क्यूबेशन प्रबंधन कर्मियों की संख्या	100

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	इकोसिस्टम के निर्माण, संचालन और रखरखाव में विशेषज्ञता वाले प्रोफेशनलों को तैयार करने के लिए एक प्रणाली बनाना।	1.2 नवाचार सक्षम केंद्रों के लिए विकसित सक्षमता रूपरेखा की संख्या	1	प्रमाणन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित करना	1.2 अपनाए गए सक्षमता रूपरेखा वाले नवाचार सक्षम केंद्रों की संख्या	10
	IV. राज्य नवाचार मिशन (सिम)					
	1. विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम का निर्माण करना।	1.1 राज्य नवाचार मिशन (सिम) के साथ संरचित जुड़ाव वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या (राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत)	4	1. ज्ञान साझाकरण, सर्वोत्तम अभ्यास आदान-प्रदान और नेटवर्क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम के साथ जुड़ना।	1.1 वास्तविक/ वर्चुअल/हाइब्रिड मोड में आयोजित कार्यशालाओं/सत्रों की संख्या	4
					1.2 कार्यशालाओं / सत्रों में इकोसिस्टम हितधारकों (राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार, इनक्यूबेटर, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, वीसी और फंडिंग इकोसिस्टम प्लेयर्स) के प्रतिभागियों की संख्या	300
					1.3 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों जहां सिम लॉन्च किया गया है, में सिम के माध्यम से शुरू किए गए संरचित कार्यक्रमों की कुल संख्या	8
	V. अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग (आईआईसी)					
	1. राष्ट्रीय सीमाओं के पार नवाचार और उद्यमिता विनिमय मंच का निर्माण करना	1.1 प्रारंभ/निष्पादित अंतर्राष्ट्रीय (द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय) नवाचार कार्यक्रमों की संख्या	2	1. ज्ञान साझाकरण, सर्वोत्तम पद्धति, विनिमय और नेटवर्क निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों / बहुपक्षीय एजेंसियों में नवाचार	1.1 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय नवाचार कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थित स्टार्टअप्स की संख्या	30
					1.2 द्विपक्षीय/बहुपक्षीय नवाचार कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या	9

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
				और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के साथ जुड़ें।		
	VI. स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए अटल त्वरण केंद्र (एएसीईएसएस - उद्योग त्वरक)					
	1. कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योगों में त्वरण केंद्र स्थापित करके राजस्व-स्तर के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक मंच तैयार करना	1.1 स्थापित औद्योगिक त्वरकों की संख्या	10	1. ऐसे स्टार्टअप-उद्योग संबंध बनाएं जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप के विकास को गति प्रदान करे	1.1 त्वरित राजस्व चरण स्टार्टअप्स की संख्या	120
		1.2 शुरू किए गए त्वरण कार्यक्रमों की संख्या	14		1.2 समर्थित स्टार्टअप्स के राजस्व में दर्ज की गई वृद्धि का प्रतिशत *(x त्वरण के प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप राजस्व है)*	1.5x
		1.3 वेन्डर्स वाले स्टार्टअप्स, प्रासंगिक क्षेत्रों में कार्यरत कम्पनियों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, वेंचर कैपिटल फर्मों आदि के लिए सुकर की गई साझेदारियों की संख्या।	50		1.3 समर्थित स्टार्टअप्स द्वारा व्यावसायीकृत उत्पादों/सेवाओं की संख्या	60
	VII. अटल क्षेत्रक नवाचार लॉन्चपैड (एएसआईएल)					
	1. केंद्र सरकार के मंत्रालयों में स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय नवाचार कार्यक्रम चलाने और क्षेत्र में नवाचार को एकीकृत करने के लिए संस्थानों का निर्माण करना	1.1 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में तैयार किए गए क्षेत्रक नवाचार लॉन्चपैडों की संख्या	4	1. केंद्र सरकार के मंत्रालयों में ऐसे संस्थागत तंत्र स्थापित करें, जो अभिनव समाधानों को अपनाने में तीव्रता लाते हैं तथा क्षेत्र-विशिष्ट वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देते हैं	1.1 क्षेत्रीय नवाचार लॉन्चपैड के माध्यम से चलाए जाने वाले नवाचार कार्यक्रमों की संख्या	9
					1.2 क्षेत्रीय नवाचार लॉन्चपैड के माध्यम से समर्थित स्टार्टअप्स की संख्या	60
					1.3 क्षेत्रीय नवाचार लॉन्चपैड के माध्यम से संचालित स्टार्टअप्स प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या	30
	VIII. अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल)					

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	1. स्कूलों में नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मंच का निर्माण करना	1.1 एटीएल के कार्य में लगे स्कूल कर्मचारियों/शिक्षकों की संख्या (कुल स्कूलों में)	5,000	1. स्कूल स्तर पर उद्यमिता और नवाचार के लिए एक संस्कृति और इकोसिस्टम को बढ़ावा देना	1.1 एटीएल नवाचार परियोजनाओं के कार्य में लगे छात्रों की संख्या	50,000
		1.2 शुरू की गई एटीएल नवाचार चुनौतियों/ कार्यक्रमों की संख्या	5		1.2 सृजित एटीएल छात्र प्रोटोटाइप/नवाचारों की संख्या	5,000
					1.3 एसआईपी/एसईपी/ साझेदारी मान्यता कार्यक्रमों के माध्यम से चिह्नित छात्रों की संख्या	1,000
	IX. अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी)					
	1. शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास और अन्य संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता के लिए मंच का निर्माण करना	1.1 स्थापित एआईसी की संख्या	15	1. राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए संस्थागत तंत्र का सृजन करना	1.1 इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप्स की संख्या (भौतिक और वर्चुअल)	1000
		1.2 एआईसी द्वारा सुगम इनक्यूबेटर/ स्टार्टअप्स उत्कृष्टता सत्रों की संख्या	500		1.2 एआईसीएस में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या (सीधी भर्ती /पार्श्विक प्रवेश)	5,000
		1.3 एआईसी द्वारा स्थापित मूल्य वर्धन साझेदारी की संख्या	100		1.3 एआईसी के माध्यम से स्टार्टअप के लिए लीवरेज्ड बाहरी वित्तपोषण (% में)	800
		1.4 एआईसी में मेंटर्स की संख्या	120		1.4 एआईसीएस में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स द्वारा दायर बौद्धिक संपत्तियों (आईपी) की संख्या	60
	X. अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी)					
	1. भारत के असेवित/ अल्पसेवित क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना	1.1 समर्थित अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की संख्या	25	1. एसीआईसी के माध्यम से जमीनी स्तर पर नवाचारों का समर्थन करने के लिए संस्थागत तंत्र का सृजन करना	1.1 समर्थित एसीआईसी स्टार्ट-अप/सामाजिक उद्यमियों की संख्या (भौतिक और वर्चुअल)	300
		1.2 एसीआईसी द्वारा आयोजित नवाचार ज्ञान साझाकरण सत्र की संख्या	100		1.2 एसीआईसी द्वारा सृजित स्थानीय सामुदायिक नौकरियों की संख्या	500
		1.3 आयोजित सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों की संख्या	100		1.3 समर्थित सामुदायिक नवप्रवर्तकों फेलो (सीआईएफ) की संख्या	50

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
	XI. अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज (एएनआईसी)					
	1. राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन और पोषण करना	1.1 समर्थित एएनआईसी स्टार्टअप की संख्या	40	1. भारतीय संदर्भ अनुरूप अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर नए उत्पादों का व्यावसायीकरण	1.1 व्यवसायीकृत नए एएनआईसी स्टार्टअप की संख्या	20
					1.2 सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेशकों से जुड़े एएनआईसी विजेताओं की संख्या	20
	XII. एआईएम इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम (एईडीपी)					
	1. भारत के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम में अंतराल की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कार्यनीतिक पहल और साझेदारियों को विकसित और कार्यान्वित करना।	1.1 एआईएम इकोसिस्टम में चल रहे/शुरू किए गए कार्यनीतिक कार्यक्रमों की संख्या	2	1. नवाचार इकोसिस्टम में प्रमुख हितधारकों, जिनमें स्टार्टअप्स, निवेशक, कॉर्पोरेट, शिक्षाविद और अन्य समर्थक शामिल हैं, के बीच नेटवर्किंग और सहयोग को सुकर बनाएं।	1.1 चिन्हित कार्यनीतिक कार्यक्रमों के तहत समर्थित (भागीदारी) नवप्रवर्तकों/ स्टार्टअप्स की संख्या	30
				2.छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों द्वारा विकसित अभिनव समाधानों को निवेशकों, कॉरपोरेट्स, एमएसएमई और गैर-	2.1 नवाचार इकोसिस्टम में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित नवाचार समाधानों की संख्या	10

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	निर्गम	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
				लाभकारी संगठनों के विविध दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए मंच बनाएं।		
	XIII. गहन प्रौद्योगिकी रिएक्टर (डीटीआर)					
	1. उन गहन विज्ञान और प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप्स के संपूर्ण इको सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए संस्थागत मंचों का निर्माण करना, जिन्हें लंबे विकास काल और उच्च निवेश की आवश्यकता होती है।	1. स्थापित किए गए गहन प्रौद्योगिकी रिएक्टरों की संख्या	1	1. गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए आरएंडडी, निवेश और प्रौद्योगिकी नीतियों को बढ़ावा देना और सुकर बनाना।.	1.1. समर्थित सिद्ध प्रोटोटाइप वाले गहन-प्रौद्योगिकी समाधानों/स्टार्टअप्स की संख्या	5
				2. भारत में गहन प्रौद्योगिकी के समाधानों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वाली संस्थागत कमियों की पहचान करें और उन्हें दूर करें।	2.1. संपूर्ण गहन-प्रौद्योगिकी (शोधकर्ता/शिक्षाविद, वीसी, स्टार्टअप एवं/या कॉर्पोरेट) इकोसिस्टम में लाभार्थियों/प्रतिभागियों की संख्या	50

2. राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**			**परिणाम 2026-27**		
2026-27	**निर्गम**	**संकेतक**	**2026-27**	**निर्गम**	**संकेतक**	**2026-27**
100	1. राज्यों के साथ सहभागिता	1.1 एम एंड ई प्रणालियों, अध्ययन, कार्यशालाओं और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि	लक्ष्य अनुकूल*	1 भारत विजन@2047 और अन्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखण में अपनी रणनीतियों और राज्य विजन@2047 को विकसित करने के लिए एसएसएम के तहत समर्थित राज्यों की संख्या	1.1 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटी) की संख्या	36
		1.2.आयोजित कार्यशालाओं /प्रशिक्षणों/ सम्मेलनों की संख्या	50		1.2 संचालित की गई एसआईटी की संख्या	लक्ष्य अनुकूल*
		1.3 ऑनबोर्ड किए गए एलकेआई की संख्या	15			
* *चूंकि वे राज्य विशिष्ट और मांग संचालित हैं।*						

3. आकांक्षी जिला कार्यक्रम/आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	**निर्गम 2026-27**	**परिणाम 2026-27**

2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27

I. आकांक्षी जिला कार्यक्रम चरण III (एडीपी चरण III)						
270	1. सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षाकृत अल्पविकसित जिलों के साथ सहभागिता	1.1 जिलों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या	85[1]	1. जिलों/ब्लॉकों को महत्वपूर्ण विकास अंतरालों का समाधान करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देना और इस प्रकार जिलों और ब्लॉकों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में तेजी लाना	1.1 जिलों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	85[2]
					1.2 स्वीकृत परियोजना को 40% धनराशि जारी की गई	

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	निर्गम 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27	निर्गम	संकेतक	2026-27

I. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम						
	1. सामाजिक-आर्थिक विकास		14[3]	1. 5 सामाजिक-आर्थिक विषयों	1.1 केपीआई में परिवर्तन का 6-7% औसत।	85[4]

[1] *आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिलों से प्राप्त 85 परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देना*
[2] *जिलों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं (न्यूनतम 85) को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित करना*

[3] *केपीआई पर हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तिमाही में 14 ब्लॉकों को पुरस्कृत किया जाता है।*
[4] *सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजनाओं (न्यूनतम 85) का अनुमोदन।*

218		के लिए अपेक्षाकृत अल्पविकसित ब्लॉकों के साथ सहभागिता	1.1 40 केपीआई पर किए गए सुधार के आधार पर डेल्टा रैंकिंग के तहत 56 ब्लॉकों को पुरस्कृत किया गया			में 513 ब्लॉकों द्वारा केपीआई में किए गए सुधार का आकलन।	1.2 ब्लॉकों द्वारा समग्र स्कोर में 5% औसत परिवर्तन।	
	2.	स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, बुनियादी बुनियादी ढांचा, सामाजिक विकास, कृषि और संबद्ध सेवाओं जैसे 5 सामाजिक-आर्थिक विषयों में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में किए गए सुधार के आधार पर 513 ब्लॉकों के प्रदर्शन को आंकना।	1.2 ब्लॉकों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या।	85[5]	2.	जिलों को महत्वपूर्ण विकास अंतरालों का समाधान करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देना और इस प्रकार ब्लॉकों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में तेजी लाना ।	2.1 ब्लॉकों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या। 2.2 स्वीकृत परियोजनाओं को 40% धनराशि संवितरित की गई	यह उन ब्लॉकों को दिया जाता है जिन्होंने केपीआई में प्रगतिशील सुधार किया है।

[7] *एबीपी के तहत ब्लॉकों द्वारा 85 परियोजना प्रस्ताव तैयार करना*